वर्ष 4, अंक 67

राष्ट्र महिला

मई, 2005 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

दिल्ली का अपराध परिदृश्य ऐसा बन गया है कि उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। लगभग प्रति दिन बलात्कार की एक निन्दनीय घटना होती है जो पहली से अधिक भयावह होती है। दिल्ली के चढ़ते हुए अपराध ग्राफ में जुड़ने वाला नवीनतम अपराध है धौला कुंआ के निकट विश्वविद्यालय की एक छात्रा का चार पुरुषों द्वारा कार के अंदर बलात्कार।

इस घटना से अत्यधिक चिंतित, राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने कार्यालय में पुलिस कमिश्नर के साथ एक बैठक की। आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कमिश्नर से इस बात पर अपनी चिंता जाहिर की कि लोगों और यातायात से चौबीसों घंटे सक्रिय रहने वाले इस क्षेत्र में, लड़की के अपहरण के बारे में तुरंत सूचित कर दिए जाने के बावजूद भी, पुलिस तुरंत उपयुक्त कार्यवाही करने में असफल रही। लोगों की आंखों के सामने चारों बदमाश लड़की को घसीट कर गाड़ी में भगा कर ले गये और दो घंटे बाद उसी स्थान पर उसे पटक कर भाग जाने की हिम्मत की। यह सारी वारदात तब हुई जब पुलिस चौकियों पर तैनात पुलिस और राजमार्ग पर गाड़ियों में गश्त करने वाली पुलिस की दृष्टि कहीं और थी। यह साबित करता है दिल्ली पुलिस के इस नारे का खोखलापन ''आपके साथ, आपके लिए, सदैव।''

इस मामले में, पुलिस वास्तव में इस बात के लिए उत्तरदायी है कि पीड़ित लड़की की सहेली, जो भागने में सफल हुई, द्वारा तुरंत सूचित किए जाने के बावजूद भी वह अपराधियों को पकड़ने में असफल रही। पुलिस यह मान कर चली कि कार गुड़गांव की ओर गयी है और गुड़गांव की पुलिस को आगाह कर दिया, जब कि उसे शहर की विभिन्न स्थानों की सभी पुलिस गाड़ियों को आगाह करना चाहिए था और शहर से बाहर निकलने के सभी स्थानों को सील कर देना चाहिए था। उधर चारों आदमी शहर का चक्कर काटते रहे और राजघाट सहित कुछ विशेष सुरक्षा वाले क्षेत्रों से भी गुज़रे और गाड़ी के अंदर लगातार उस लड़की का बलात्कार करते रहे।

शहर के चारों ओर लगे अवरोधकों पर तैनात चैकिंग करने वाले पुलिस कर्मियों द्वारा भी उन्हें एक बार तक नहीं रोका गया। इसलिए, केवल इतना ही काफी नहीं है कि अपराधियों को पकड़ कर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाये, अपितु यह भी आवश्यक है कि इस असावधानी और ढिलाई के लिए जिम्मेवार पुलिस कर्मियों की भी खिंचाई की जाये। पुलिस कमिश्नर के साथ हुई बैठक में राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुझाव दिया कि पुलिस बल

चर्चा में **बलात्कार और पुलिस की शिथिलता**

में महिला कर्मियों की संख्या वर्तमान 4 प्रतिशत से बढ़ा कर 10 प्रतिशत की जाये, महिलाओं के लिए अधिक मंत्रणा केंद्र खोले जायें और महिला-संबंधित अपराधों से विशेष रूप से निबटने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने पर एक महिला डेस्क स्थापित की जाये। आयोग ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि महिलाओं के हेल्पलाइन नंबर शहर की सभी संस्थाओं में मौजूद होने चाहिए और, विशेष रूप से, सरकार को ऐसे निकृष्ट अपराधियों के लिए त्वरित मुकदमों और कठोर कानूनों पर विचार करना चाहिए।

आयोग ने घायल आंगनवाड़ी सुपरवाईजर से भेंट की

मध्य प्रदेश के धार ज़िले की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता सुश्री शकुंतला वर्मा पर 10मई 2005 को बाल विवाह रोकने का प्रयास करते समय एक युवक द्वारा घातक हमले का स्वत: संज्ञान लेते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग का एक दल अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास की अगुवाई में 13.5.2005 को इंदौर गया। इस दल के अन्य सदस्य थे सुश्री अनुसुइया उइके (आयोग की सदस्य) और सुश्री रेलम चौहान, मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा। यहां उन्होंने गोकुलदास अस्पताल में सुश्री शकुंतला वर्मा से भेंट की जहां उनका इलाज चल रहा था। पुलिस अधिकारियों, महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारियों, इंदौर के जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक तथा धार के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से भी मिलीं।

समिति को यह देख कर क्षोभ हुआ कि पुलिस तथा स्थानीय पटवारी को बाल विवाह रोकने के बारे में कोई रूचि नहीं है। जब शकुंतला ने बाल विवाह रोकने का प्रयास किया तो वे उसके साथ नहीं गये। आयोग मुख्यमंत्री से भी अपेक्षा करता है कि वे बाल विवाह प्रथा के उन्मूलन में सक्रिय रुचि लेंगे।

परन्तु आयोग को इस बात पर प्रसन्नता हुई कि फरवरी माह से आयोग द्वारा चलाए जा रहे व्यापक आंदोलन के फलस्वरुप केवल मध्य प्रदेश में ही 8000 से 10000 बाल विवाह रुके। आयोग द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की गयी।

- मध्य प्रदेश की राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा सुश्री वर्मा एवं उसके परिवार वालों को पर्याप्त सुरक्षा दी जानी चाहिए।
- पटवारी के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।
- अपराधी को पुलिस जल्द पकड़े और उसे कठोर दंड दिया जाये।
- इस अपराध को रोकने में असफलता के लिए पुलिस अधिकारियों तथा जिला प्रशासन की जबावदेही निर्धारित की जाए।

समिति ने सुश्री वर्मा को प्रधान मंत्री राहत कोष से एक उपयुक्त राशि दी जाने की सिफारिश भी की। सुश्री वर्मा को दी जाने वाली चिकित्सा के प्रबंध से आयोग संतुष्ट था।

राजस्थान में गर्भवती महिलाओं का बीमा करने की योजना

राजस्थान में महिलाओं को अपने बच्चों के सुरक्षित प्रजनन तथा जन्म-पश्चात कुछ माह के लिए उचित देखभाल हेतु शीध्र ही बीमा का लाभ मुहैया कराया जायेगा। गर्भधारण काल के दौरान तथा प्रसूति के समय महिलाओं को स्त्री-रोग विशेषज्ञों एंव बाल-रोग विशेषज्ञों की सेवाओं तथा दवाओं का पूरा प्रबंध राज्य सरकार के स्वास्थ्य उप-केंद्रों में किया जायेगा। इससे दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को सहारा मिलेगा जिसकी अत्यंत आवश्यकता थी।

बीमा के प्रीमियम की अधिकांश राशि राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि हितग्राहियों को ये सुविधांए प्राप्त करने के लिए छोटी सी राशि देनी होगी।

आयोग बार बालाओं का पुनर्वास चाहता है

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास ने कहा कि महाराष्ट्र में नृत्य बारों के बंद होने के फलस्वरूप बेरोज़गार हुई बार बालाओं का शीघ्रातिशीघ्र पुनर्वास किया जाना चाहिए और प्रभावित लड़कियों को वैकल्पिक आय के साधन प्रदान कराए जाने चाहिए। उनमें से अनेकों के पास कोई अन्य काम करने का हुनर नहीं है।

इस बारे में उन्होनें महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री विलास राव देशमुख से बात की जिन्होंने प्रभावित लड़कियों के पुनर्वास के उपाय करने का वादा किया।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा नृत्य बारों को बंद कर दिए जाने के फलस्वरुप लगभग 75000 लड़कियां बेरोज़गार हो गयी हैं।

अनेक प्रभावित लड़कियां राष्ट्रीय महिला आयोग के पास आयीं और स्वीकार किया कि नृत्य का धंधा उन्होंने अंतिम विकल्प के रूप में अपनाया था।

महिला राजनीतिक सशक्तिकरण समारोह

11वां महिला राजनीतिक सशक्तिकरण दिवस मनाने के लिए, समाज विज्ञान संस्थान ने नई दिल्ली में 25 अप्रैल 2005 को प्लान इंटरनेशनल (इंडिया) द्वारा प्रायोजित एक सेमिनार का आयोजन किया जिसका विषय था ''पंचायत और बाल अधिकार'': पहचान के प्रथम अधिकार के रुप में जन्म का पंजीकरण ।''

इस सेमिनार में 18 राज्यों की 320 ग्राम पंचायतों के 600 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें स्वंय-सहायी दलों, गैर सरकारी संगठनों तथ बंगलादेश के प्रतिनिधि भी शामिल थे।

प्रतिनिधियों और अतिथियों का स्वागत करते हुए, संस्थान के निदेशक डा. जार्ज मैथ्यू ने इन वार्षिक समारोहों के महत्व की विवेचना की और बतलाया कि संविधान के 73 वें संशोधन के लागू होने के बाद से यह संस्था लगातार राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक समारोह मनाती रही है।

इस राष्ट्रीय समारोह का उद्धाटन करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास ने महिला सशक्तिकरण के पांच स्तंभो पर प्रकाश डाला: शिक्षा, पेय जल, स्वास्थ्य परिचर्या, स्वच्छता और रोजगार तक पहुंच। यदि इन मुद्दों पर समुचित ध्यान दिया गया तो महिलाओं के समान अधिकारों के पक्ष में एक वेग उठेगा जिससे शासन व्यवस्था में उनकी सक्रिय भागीदारी का मार्ग प्रशस्त होगा।

महिला राजनीतिक सशक्तिकरण दिवस समारोह में डा. गिरिजा व्यास सम्मेलन को संबोधित करते हुए। मंच पर बैठे हैं श्री सेलीलिओ एडरोना, डा. जार्ज मेथ्यू, श्री ब्रूनो औडमायर और सुश्री विद्युत मोहंती

मैना देवी को उत्कृष्ट महिला पंचायत नेता पुरस्कार प्रदान करते हुए डा. गिरिजा व्यास। साथ में श्री सेलीलिओ और डा. जार्ज मेथ्यू

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव श्री पी.के. होटा ने नवीन राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मिशन के लक्ष्यों के अनुसार स्वास्थ्य योजनाएं तैयार करने, कार्यान्वित करने तथा मानीटर करने करने में पंचायतों के महत्व पर प्रकाश डाला।

लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल श्रम, अनैतिक बाल व्यापार, और भारत के घटते हुए लिंग अनुपात को जो लिंग भेदभाव का जीता जागता प्रतीक है, बदलने आदि बाल अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर अनेक प्रतिष्ठित वक्ताओं ने प्रकाश डाला।

केन्द्र के पंचायती राज मंत्री श्री मणि शंकर अय्यर ने अपने समापन भाषण में महिलाओं को सशक्तिकृत करने के राजीव गांधी के पांच सूत्रीय एजेंडा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पूर्व प्रधान मंत्री का दृढ़ विश्वास था कि महिलाओं का आरक्षण गति पकड़ेगा और 50 प्रतिशत तक पहुंच जायेगा।

तीन निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को उत्कृष्ट महिला पंचायत नेता पुरस्कार से अलंकृत किया गया। समाज विज्ञान संस्थान की महिला अध्ययन शाखा की प्रमुख सुश्री विद्युत मोहंती ने कार्यक्रम को समन्वित किया।

आयोग के दल का मुंबई का दौरा

राष्ट्रीय महिला आयोग का एक दल जिसमें आयोग की सदस्य सुश्री नफीसा हुसैन, नई दिल्ली की जिला न्यायाधीश सुश्री घींगरा सहगल, मानवाधिकार विधि नेटवर्क की निदेशक सुश्री अर्पणा भट्ट तथा आयोग के विधि अधिकारी श्री योगेश मेहता थे, महाराष्ट्र राज्य में बार नृत्य बालाओं से संबंधित मुद्दे के अध्ययन के लिए मुंबई गया। मैरीन ड्राइव चौकी, मुंबई, में एक पुलिस कर्मी द्वारा एक लड़की के बलात्कार की घटना की भी इस समिति ने जांच की और अपनी सिफारिशें दीं।

समिति मारोल में नव ज्योति में गयीं और दो नाबालिग लड़कियों से मिली जो कि नृत्य बार में काम करती थीं और जिन्हें वहां से निकालकर लाया गया और अब उनका पुनर्वास किया जा रहा है। बाद में समिति ने पुलिस अधिकारियों के साथ इस विषय पर अनौपचारिक बैठके कीं।

मेरीन ड्राइव पर एक लड़की के कथित बलात्कार के संबंध में यह दल पीड़ित लड़की और उसके परिवार के सदस्यों से एक गुप्त स्थान पर मिला जिसका प्रबंध मुंबई पुलिस ने किया। लड़की तथा उसके परिवार जनों से मिलने के बाद आयोग ने पुलिस अधिकारियों तथा पुलिस कमिश्नर से उनके कार्यालय में बैठक की और इस मुद्दे पर चर्चा की।

इस्लामाबाद में भारतीय दल

पाकिस्तानी सरकार तथा 'यूनिफेम' द्वारा आयोजित बीजिंग प्लस टैन के पांचवे दक्षिण एशिया क्षेत्रीय मंत्रिस्तर सम्मेलन समारोह में भाग लेने के लिए एक भारतीय दल जिसमें राज्य मंत्री सुश्री कान्ति सिंह, आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास तथा महिला और बाल विकास विभाग की सचिव डा. रेवा नय्यर थे, इस्लामाबाद गया।

भागीदारों ने निम्नलिखित क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन महसूस किए: ◆ लिंग समानता एंव महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय नीतियों तथा कार्य योजनाओं का निर्माण ◆ महिलाओं तथा लड़कियों को शिक्षा की अधिक सुविधाएं प्रदान करना ◆ महिलाओं तथा लड़कियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, जल तथा स्वच्छता सेवाओं का प्रबंध ◆ महिलाओं के मानवाधिकारों की प्रभावी प्राप्ति के लिए महिलाओं पर राष्ट्रीय व्यवस्था-तंत्र और संस्थात्मक व्यवस्थाओं की स्थापना ◆ महिलाओं के प्रति हिंसा तथा उनके एंव बच्चों के यौन शोषण तथा अनैतिक व्यापार को रोकने के लिए नये कानून और वर्तमान कानूनों में संशोधन ◆ महिलाओं के अधिकारों पर उभरती हुई तथा सकारात्मक न्याय प्रणाली ◆ सरकारों, महिला संगठनों, समाज एवं हितबद्ध वर्गो, निर्वाचित प्रतिनिधियों, मीडिया और निजी क्षेत्र के बीच भागीदारी बनाना ◆ आर्थिक अवसरों, ऋण सुविधाओं, प्रतिष्ठायुक्त रोज़गार एवं व्यक्तिगत सुरक्षा तक महिलाओं की पहुंच ◆ कुछ स्तरों पर महिलाओं की राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की दिशा में आगे प्रभावशाली कदम उठाना ◆ एच आई वी/एड्स की रोकथाम, उपचार तथ देखभाल की नीतियां अंगीकृत करना ◆ क्षेत्रीय अधिकार-पत्रों जैसे 'सार्क सामाजिक चार्टर' और 'अनैतिक व्यापार पर सार्क समझौता' को स्वीकार करना।

परन्तु सम्मेलन ने कुछ बड़े क्षेत्रों में कमियां और चुनौतियां भी देखीं : ◆ नागरिक कानूनों में लिंग समानता पर 'सीडो' के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत वचनबद्धता पूरी करने में अपर्याप्त प्रगति ◆ वैश्वीकरण के प्रतिकूल प्रभाव के फलस्वरुप उत्पन्न महिलाओं में बढ़ती गरीबी ◆ महिलाओं के प्रति, संघर्ष परिस्थिति सहित, सभी प्रकार की हिंसा का लगातार बने रहना ◆ महिलाओं में एचआई वी/एड्स का बढ़ना ◆ तपेदिक, अल्परक्तता, मलेरिया आदि रोगों

सम्मेलन में सुश्री रेवा नय्यर, डा. गिरिजा व्यास और सुश्री कान्ति सिंह

महत्वपूर्ण निर्णय

सरकारी नौकरियां तलाशने वाले दहेन का ब्यौरा दें:उच्चतम न्यायालय

दहेज की मांग निरुत्साहित करने के लिए, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र एवं राज सरकारों को इस बात पर विचार करने का निदेश दिया है कि वे अपने कर्मचारियों से ब्यौरा मांगे कि नौकरी में आने से पूर्व उन्होंने कितना दहेज लिया था। यदि सरकारें उच्चतम न्यायालय का प्रस्ताव स्वीकार कर लें, तो सरकारी नौकरी पाने के लालायित उम्मीदवार को उसके द्वारा लिए गये दहेज की सूचना प्रदान करनी होगी और बताना होगा कि क्या दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 की अपेक्षानुसार दहेज को पत्नी के नाम कर दिया गया है। जैसा कि इस अधिनियम की धारा 8 बी में अपेक्षा की गयी है, उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों से दहेज प्रतिषेध अधिनियम को लागू करने को कहा ताकि इस बुराई का उन्मूलन किया जा सके। न्यायालय ने केंद्र तथा राज्य सरकारों को यह निदेश भी दिया कि लोक अदालतों एवं मीडिया के माध्यम से दहेज-विरोधी साक्षरता कार्यक्रम को प्रभावी रुप से आगे बढ़ायें।

तलाक कार्यवाही में नागरिकता प्रमुख: उच्च न्यायालय

हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाहित युगलों के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय में बंबई उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिए गये एक निर्णय में कहा कि यदि भारत में हुए विवाह के समय दूल्हा और दुल्हन दोनों भारतीय नागरिक थे, तो यदि वे लम्बे समय तक विदेश में भी रहे हों तो भी भारतीय न्यायालय को उनमें से किसी की तलाक की अर्जी को सुनने का अधिकार है।

एक ऐसे युगल के बीच उठे वैवाहिक विवाद पर जो अपने 15 वर्ष के वैवाहिक जीवन के दौरान तीन महाद्वीपों में रहा, बंबई उच्च न्यायालय ने उन बीसियों युगलों के बारे में भी कानूनी सिद्धांत तय किया जो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत भारत में विवाह करते हैं और फिर विदेश में जाकर रहते और काम करते हैं। इस कानून का लागू होने का एक आवश्यक आधार भारतीय नागरिकता है।

ऐसे बहुत से विवाहों के लिए जो भारत में होते हैं और बाद में विदेश में बिखरने लगते हैं यह एक अच्छी खबर हो सकती है कि न्यायाधीशों ने कहा कि ''जो कानून प्रणाली विवाह पर लागू होती है वह स्थावर रहनी चाहिए और वैवाहिक पक्षों की मर्जी के अनुसार नहीं बदल सकती ।''

सूर्यास्त के बाद महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता

राज्य सभा ने हाल ही में दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 1994 पारित किया जिसमें आपराधिक न्याय प्रणाली में कुछ परिवर्तन किए गये।

विधेयक के अनुसार, असाधारण परिस्थितियों के सिवा किसी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पूर्व गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

अपवादस्वरुप परिस्थितियों में, पुलिस अधिकारी को ऐसी गिरफ्तारी के लिए लिखित में अपने वरिष्ठ अधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर अनुमति लेनी होगी।

की रोकथाम में लिंग प्रधान नीतियों तथा हस्तक्षेप की कमी ◆ राष्ट्रीय विधान सभाओं में महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व देने में अपर्याप्त प्रगति ◆ महिलाओं को प्रजनन तथा यौन स्वास्थ्य संबंधी पर्याप्त सूचना एवं सेवाएं प्रदान न कर पाना आदि। सम्मेलन में निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य योजना को वरीयता दी गयी : ◆ महिलाओं के प्रति हिंसा, महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण ◆ आपदाओं के लिए तैयारी और प्रबंध ◆ लिंग समानता के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं विकसित और मजबूत करना।

बाल विवाह विरोध अभियान

19 अप्रैल को, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास तथा उप-सचिव सुश्री गुरप्रीत देव बाल विवाह अभियान के संबंध मे लखनऊ गये। अध्यक्षा ने एक बैठक का सभापतित्व किया जिसमें महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य तथा पंचायती राज्य विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। कुछ जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक भी बैठक में उपस्थित थे। अध्यक्षा ने सुझाव दिया कि प्रत्येक जिले में एक महिला अपराध विरोधी कक्ष की स्थापना की जाये और प्रत्येक पुलिस थाने में एक महिला सहायता डेस्क स्थापित की जाये। उन्होंने कहा कि बाल विवाह अधिनियम 1929 पुराना हो चुका है और आयोग इसकी समीक्षा करके इसका संशोधन करेगा।

25 अप्रैल को आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास, सदस्य सुश्री अनुसुइया उइके और सुश्री नफीसा हुसेन तथा संयुक्त सचिव सुश्री नीता कपूर जयपुर गयीं जहां उन्होंने आयोग द्वारा चलाए जा रहे बाल विवाह विरोध आंदोलन की समीक्षा बैठकों में भाग लिया जो राज्य सरकार के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित की गयी थीं।

6 मई को आयोग की सदस्या नफीसा हुसेन और अनुसुइया उइके एवं कॉरडीनेटर एच.सी.भारती का एक दल भोपाल गया और आयोग द्वारा चलाए जा रहे बाल विवाह विरोध आंदोलन की समीक्ष बैठकों में भाग लिया जो राज्य सरकार के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित की गयी थीं। उसी दिन आयोग के इस दल ने एक व्यापारी द्वारा एक दलित के यौन शोषण के मामले की जांच की । सुश्री अनुसुइया उइके मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अधिकारियों से भी मिलीं और महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

अधिक जानकारी के लिए देखें वैबसाइट
www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। फोन : 23237166, फैक्स : 23236154
अभिनव प्रिंट्स, शकूर बस्ती, दिल्ली-110034 में मुद्रित। सम्पादक : गौरी सेन